संख्या-20/2025/59/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 28 मार्च**, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर (स्पान्सरशिप, फॉस्टर केयर व आफ्टर केयर) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-860/निदे0म0क0/लेखा-बजट-पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 17.03.2025 तथा पत्र संख्या-908/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2024-25, दिनांक 24.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर (स्पान्सरशिप, फॉस्टर केयर व आफ्टर केयर) हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश का उपभोग किये जाने हेतु लेखाशीर्षक-2235-02-102-01-18 नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर स्पान्सरशिप/फॉस्टर केयर-आफ्टर केयर के सुसंगत मानक मदों में रू0 720.00 लाख (केन्द्रांश) एवं लेखाशीर्षक-2235-02-102-89-18 नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर स्पान्सरशिप/फॉस्टर केयर-आफ्टर केयर (समानुपातिक राज्यांश) रू0 480.00 लाख अर्थात इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1200.00 लाख (रूपये बारह करोड़ मात्र) (के0.60+रा0.40-के0+रा0) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार की गाइडलाइन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 7,20,00,000 (रूपये सात करोड बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-049 लेखा शीर्षक 2235021020118 नॉन इंस्टीटूशनल केयर-स्पांसरशिप/फोस्टर केयर-आफ्टर केयर (के.60/रा.40 के.) मानक मद-42-अन्य व्यय (2) रुपये 4,80,00,000 (रूपये चार करोड अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-049 लेखा शीर्षक-2235021028918 नॉन इंस्टीटूशनल केयर-स्पांसरशिप/फोस्टर केयर-आफ्टर केयर मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्संबंधी बी0एम0-9 प्रपत्र पर आवंटित संख्या-RE-budget-1-814-E-4-306-X-2024-25, दिनाँक 27.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-20/2025/59(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in